

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2023 का विधेयक संख्या-20 एच०एल०ए०

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा संक्षिप्त नाम। जा सकता है।

2. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की अनुसूची में, क्रम संख्या 25 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

"26. संस्कारम् विश्वविद्यालय

जिला झज्जर"।

2006 के
हरियाणा
अधिनियम 32
की अनुसूची
का संशोधन।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

राज्य के युवाओं को उच्चतर शिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान करने हेतु शैक्षणिक संस्थाओं की संरचना और विस्तार की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों की अप्रत्याशित वृद्धि को समायोजित करने की व्यवस्था में और 50% सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार प्राप्त करने के लिए भी हमें सभी स्तरों पर वर्ष 2030 तक संस्थाओं की संख्या में मोटे तौर पर दोहरी वृद्धि करने की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं होगा। हमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रमुख रूप में शामिल करने की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा और इसके मानकों के पैमाने की क्षमता का विस्तार करने में सरकार की पहल के अनुपूरक में हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को अनिवार्यतः लाया गया है।

इसके अतिरिक्त अधिनियम में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जिला झज्जर में संस्कारम् विश्वविद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव का प्रतिपादन किया गया है।

अतः बिल प्रस्तुत है।

मूल चंद शर्मा,
उच्चतर शिक्षा मंत्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 14 दिसम्बर, 2023

आर० के० नांदल,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 के हरियाणा गवर्नमेंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध
हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 से उद्धरण
अनुसूची
(देखिए धारा 6)

6. धारा 5 की उप-धारा (2) के तहत प्रस्तुत विश्वविद्यालय की स्थापना। रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, यदि सरकार संतुष्ट है कि प्रायोजक निकाय ने धारा 5 की उप-धारा (1) के प्रावधानों का अनुपालन किया है, तो राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा, ऐसे नाम, स्थान, अधिकार क्षेत्र और ऐसे बुनियादी ढांचे के साथ एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित कर सकती हैं, जिसे कि अनुसूची में निर्दिष्ट किया जा सके।

क्रमांक संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	अवस्थिति
1	ओ पी जिन्दल ग्लोबल विश्वविद्यालय (अब डीम्ड विश्वविद्यालय) यूजीसी के तहत अधिसूचना संख्या 11/2020 के तहत, 2020 की हरियाणा अधिनियम संख्या 10 दिनांक 04.05.2020.	जिला सोनीपत
2	द नार्थकैप विश्वविद्यालय	जिला गुड़गांव
3	एमिटी विश्वविद्यालय	गांव ग्वालियर, पचंगांव (नजदीक मानेसर) जिला गुड़गांव
4	एपीजे सत्य विश्वविद्यालय	जिला गुड़गांव
5	महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय	जिला अम्बाला
6	एनआईआईएलएम विश्वविद्यालय	जिला कैथल
7	बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय	जिला रोहतक
8	एम0वी0एन0 विश्वविद्यालय	जिला पलवल
9	सुशांत विश्वविद्यालय	जिला गुरुग्राम
10	श्री गुरु गोविन्द सिंह त्रि.शताब्दी विश्वविद्यालय	जिला गुड़गांव
11	जगन नाथ विश्वविद्यालय	बहादुरगढ़ (हरियाणा)

क्रमांक संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	अवस्थिति
12	जी0डी0 गोयन्का विश्वविद्यालय	सोहना रोड़ गुड़गांव
13	के0आर0 मंगलम विश्वविद्यालय	सोहना रोड़ गुड़गांव
14	एस0आर0एम0 विश्वविद्यालय	सोनीपत (हरियाणा)
15	अशोका विश्वविद्यालय	जिला सोनीपत
16	अल-फलाह विश्वविद्यालय	जिला फरीदाबाद
17	बी0एम0एल0 मुंजाल विश्वविद्यालय	जिला गुड़गांव
18	मानव रचना विश्वविद्यालय	जिला फरीदाबाद
19	पी0डी0एम0 विश्वविद्यालय	जिला झज्जर
20	स्टारैक्स विश्वविद्यालय	जिला गुड़गांव
21	विश्व डिजाइन विश्वविद्यालय	सोनीपत
22	आई0आई0एल0एम0 विश्वविद्यालय	गुरुग्राम
23	ओम स्ट्रलिंग ग्लोबल विश्वविद्यालय	हिसार
24	ऋषिहुड विश्वविद्यालय	जिला सोनीपत
25	गीता विश्वविद्यालय	जिला पानीपत।